भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1385

(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

ओडिशा में सीएसआर परियोजनाएँ

1385. डॉ. संबित पात्राः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य में सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत क्रियान्वित की गई कुल परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य में सीएसआर कार्यकलापों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा ओडिशा में विकास, जनकल्याण तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु किसी नई सीएसआर परियोजना को स्वीकृत एवं क्रियान्वित करने विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित सभी आंकडे, जिसमें परियोजनावार आँकड़े शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 137 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करना अपेक्षित है। इसके पश्चात, वित्तीय विवरण और सीएसआर के संबंध में प्रकटीकरण वाले बोर्ड रिपोर्ट को एजीएम के 30 दिनों के भीतर एमसीए 21 में प्रस्तुत किया जाना होता है। चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2025-26 के लिए फाइल करने की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं है, इसलिए ओडिशा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर डाटा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसआर निधियों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, ओडिशा में पीएसयू द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं हैं।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

09.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1385 के भाग (ख) से संदर्भित वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान ओडिशा में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**
ओडिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर व्यय	397.61	396.65	486.38

(31.03.2025 तक का डाटा) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन सेल)

<u>नोट</u>: कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सभी कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बिना 31 जनवरी, 2026 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित अपनी वार्षिक फाइलिंग पूरी करने की अनुमति प्रदान की थी। इसलिए, कंपनियों के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित अपने सीएसआर व्यय से संबंधित विवरण 31 जनवरी, 2026 तक फाइल करने का समय था। कंपनियों द्वारा बड़ी संख्या में फाइलिंग किए जाने के कारण इस डाटा को पब्लिक डोमेन में डालने से पूर्व संसाधित किया जा रहा है।

****